न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 171/2013 तारीख रजू :–27.09.2013

पीठासीन अधिकारी – सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

हिफर्जुरहमान श्रीमती वीणा वगैराह

बनाम

दावा बाबत घोषणा खातेदारी,शून्य घोषित करने विकय पत्र दिनांक 16.08.2012 एवं स्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 जाप्ता दीवानी

निर्णय

दिंनाक :– 22.01.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण/प्रतिवादी सं01 व 3 ने दिनांक 01.08.2016 को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि वादी ने साबिक आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1148 रकबा 36 एयर कस्बा हिण्डौन के सम्बन्ध में दावा बाबत् घोषणा खातेदारी व घोषित किये जाने शून्य बयनामा दिनांक 16.08.2012 व स्थायी निषेधाज्ञा जरिये मुख्त्यार आम विकमसिंह पेश किया है। जो बिल्कुल खिलाफ कानून व पूर्व में चले मुकदमों के फैंसले के विपरीत पेश किया है। जिसे अदालत हाजा द्वारा सुनने व फैंसल करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिए दावा प्रथम दृष्टया खारिज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि वादी को मुकदमा हाजा के लिए अपने वाद पत्र के मद नं0 3,4,5, के आधार पर कोई कॉज ऑफ एक्शन दावा हाजा के लिए पैदा नहीं होता। कॉज ऑफ एक्शन के अभाव में प्लेंन्ट रिजेक्ट कर खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि वादी द्वारा कथित ऑर्डर 09 रूल 13 जा0दी0 के आदेश दिनांक 10.07.2013 के विरूद्ध प्रतिवादी अशोक कुमार ने न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत कर वहॉ से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जिसमें वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 17 को मौके एवं रिकार्ड की यथा–स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया हुआ है तथा उक्त निगरानी में वादी वकील भी उपस्थित हो चुके हैं। जिसमें आगामी तारीख पेशी नियत है। इसलिए एक ही भूमि के सम्बन्ध में दो जगह पूर्व प्रकरण में विचाराधीन रहते हुए दूसरा प्रकरण कानूनन राजस्व न्यायालय में नहीं चल सकता इसलिए भी प्लेंन्ट रिजेक्ट किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.27 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के मद [illegible] में दर्ज [illegible] कि प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 हिफर्जुररहमान बनाम अशोक में वादी [illegible] पत्र दिया है और अब बदयांति से अदालत को धोखा [illegible] गरज से [illegible] करने के उद्देश्य से [illegible] भूमि के लिए जिसके पूर्व में प्रकरण [illegible] मुख्त्यार आम दा[illegible] है। जो कानूनन बिना किसी आधार के [illegible] उक्त मुख्त्यार आम के [illegible] में वादी ने अपने सम्पूर्ण दावे में कोई तथ्य भी दर्ज नहीं किया है। इसलिए भी दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि वादी ने अपने दावे में दिनांक 16.08.2012 के बयनामों को शून्य व नल एण्ड बोईड घोषित करने की दादरसी हेतु दायर किया है, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का विषय है तथा इस हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम है। इसलिए दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि न्यायालय हाजा द्वारा विवादित आराजी की डिक्री उनवानी प्रकरण अशोक कुमार बनाम बशीर की पालना में विवादित आराजी का नामान्तकरण डिक्रीदार अशोक कुमार के हक में खुलकर तस्दीक होकर उसमें खातेदारी हो गयी और खातेदार अशोक ने उक्त भूमि को जरिये पंजीकृत बयनामा प्रतिवादी सं01 व 2 को करा दिया। इस प्रकार उक्त बयनामा पंजीकृत होने के बाद जब तक सिविल कोर्ट से उक्त डिक्री कैन्सिल नहीं की जाये तब तक उक्त भूमि के सम्बन्ध में पुनः श्रीमान् को सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। इस कारण दावा निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः प्रिमिलीनरी बिन्दुओं पर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि दावा ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट कर खारिज फरमाया जावे।

वादी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी का जबाव दिनांक 06.03.2020 को प्रस्तुत कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दावा पेश करने वाली बात सही है लेकिन खिलाफ कानून व पूर्व में चले मुकदमों के विपरीत पेश किया है, गलत है। दावा सही पेश किया है। दावा हाजा को सुनने व फैंसला करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रथमदृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 गलत है। कॉज ऑफ एक्शन मद नं06 में दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 गलत है। सारी बातें गलत लिखी हैं। राजस्व बोर्ड अजमेर में निगरानी फैंसल हो चुकी है। उसमें किसी प्रकार का स्टे नहीं है तथा मद में तारीख पेशी होने वाली बात गलत है। क्योंकि प्रार्थना पत्र में कहीं भी तारीख पेशी अंकित नहीं की है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 गलत होने के कारण अस्वीकार है। सारी बातें गलत दर्ज की हैं। मुख्त्यार आम को दावा लाने का अधिकार क्यों नहीं है, कहाँ नहीं है। यह प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये हैं। वादी ने सम्पूर्ण तथ्य वाद पत्र में अंकित किये हैं। इस कारण प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि वादी ने अपने दावे में दिनांक 16.08.2012 के बयनामों को शून्य एवं नल एण्ड बोइड घोषित करने की दादरसी चाही है। जो सही चाही गई है। जिसमें न्यायालय को पूर्ण क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। क्योंकि पूर्व में जो दावा चला था उक्त दावे को न्यायालय ने डिक्री किया। उक्त डिक्री को न्यायालय ने अपास्त कर दिया तथा वादी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया। इसलिए खातेदार की खातेदारी ही समाप्त हो गयी। इसलिए उक्त बयनामे को न्यायालय नल एण्ड बोई एवं शून्य करार दे सकती है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है। अशोक कुमार बनाम बशीर में जो डिक्री न्यायालय द्वारा पारित की गई तथा डिक्री के आधार पर नामान्तकरण खुलकर जो खातेदारी हुई थी, वो गलत हुई थी। न्यायालय ने उक्त डिक्री व आदेश को निरस्त कर दिया। इसलिए खातेदार के पास खातेदारी का कोई टाईटल शेष नहीं रहा। सिविल कोर्ट में जाने वाली बात गलत दर्ज की है। सिविल कोर्ट में तो रजिस्ट्री कैन्सीलेशन के लिए मुकदमा होता है। वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.27 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

ने तो नल एण्ड बोईड व शून्य करार घोषित कराने की प्रार्थना की है। जो सही है। इसलिए प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी/ प्रतिवादी सं01 व 3 की ओर से दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर निगरानी टी.ए. संख्या 4822/2013 उनवानी अशोक बनाम हिफजुर रहमान वगैराह निर्णय दिनांक 09.11.2015, फोटो प्रति माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जयपुर एस0बी0सिविल रिट पिटीशन नं0 17159/2013 उनवानी श्रीमती बीना देवी बनाम हिफजुररहमान वगैराह आदेश दिनांक 17.02.2016 पेश की हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सीपीसी पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी/प्रतिवादी सं01 व 3 ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है तथा अवगत कराया है कि दावा हाजा हिफर्जुरहमान के मुख्त्यार आम विकमसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी जाट की सराय हिण्डौन के द्वारा पेश किया गया है। जबकि मुख्त्यार आम नियुक्तकर्ता हिफर्जुरहमान की मृत्यु हो चुकी है। इस कारण उसकी ओर से विकमसिंह के हक में किया गया मुख्त्यारनामा भी समाप्त हो चुका है। इसलिए दावा मुख्त्यार आम की ओर से चलने योग्य नहीं है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.07.2013 जिसके तहत अशोक बनाम बशीर दावा में विवादित भूमि की डिकी अशोक के हक में जारी की और उक्त डिकी को प्रार्थना पत्र ऑर्डर 09 रूल 13 सी0पी0सी0 उनवानी हिफर्जुरहमान बनाम अशोक में निरस्त फरमायी गई के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अशोक द्वारा पेश की गई निगरानी अशोक बनाम हिफर्जुरहमान स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा का ऑर्डर 9 रूल 13 सी0पी0सी0 का आदेश दिनांक 10.07.2013 निरस्त फरमा दिया गया है और पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा अशोक के हक में जारी डिकी को बहाल रखा है। ऐसी स्थिति में कानूनन जब तक उक्त डिकी को वादीगण सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कर लेते तब तक उक्त दावा कानूनन मेन्टेनेबिल नहीं है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत रिजेक्ट कर खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत वकील अप्रार्थी/वादी ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया।

फोटो प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 रूल 13 सपठित धारा 151 जा0दी0 बाबत् किये जाने मंसूख एकपक्षीय निर्णय व डिकी दिनांक 29.06.2012 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 10.07.2013 में अंकित किया है कि गत खसरा नम्बर 692 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा [illegible] नम्बर 1148 रकबा 0.36 है0वाके कस्बा हिण्डौन के बाबत प्रतिपक्षी सं01 अशो[illegible] ने प्रतिवादी सं02 तहसीलदार हिण्डौन व बशीर पुत्र नजीर खॉं के [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा के लिए दिनांक 30.01.2012 को मु[illegible] नं010/201[illegible] अशोक कुमार बनाम बशीर खॉं आदि न्यायालय हाजा में पेश किया [illegible] 2012 को एकतरफा में डिकी कर दिया गया। दिनांक 29.06.2012 को इस न्यायालय [illegible] जारी एकतरफा आदेश व डिकी मुकदमा नं0 10/2012 अशोक कुमार बनाम बशीर मंसूख किये जाते हैं। पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जाती है। उक्त आदेश दिनांक 10.07.2013 की निगरानी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.27 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

फोटो प्रति माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर निगरानी टी. ए. संख्या 4822/2013 उनवानी अशोक बनाम हिफजुर रहमान वगैराह निर्णय दिनांक 09.11.2015 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा प्रकरण सं0 02/2013 में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.07.2013 के विरूद्ध पेश की गई, जिसके द्वारा उन्होंने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार किया गया है। उक्त निगरानी में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 09.11.2015 को निर्णय पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन का आदेश दिनांक 10.07.2013 निरस्त कर दिया गया है। निर्णय में अंकित किया है कि आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुसार जो वाद में प्रतिवादी है उसे ही एकतरफा डिक्री निरस्त करवाने का अधिकार है। वाद में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में अप्रार्थी सं01 लगायत 10 या उनके पिता बतौर प्रतिवादी पक्षकार नहीं थे तथा न ही राजस्व रिकार्ड में किसी भी हैसियत से उनका नाम दर्ज था, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी सं01 लगायत 10 को प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं था तथा प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं था, इसके बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया। उनका तर्क था कि विपक्षी ने एकफर्जी दानपत्र जो वह बशीर द्वारा उसके पिता के पक्ष में दिनांक 20.11.62 को निष्पादित होना बताते हैं तथा उसी आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया, जबकि उक्त दान पत्र में न तो आराजी मुतनाजा दर्ज है व न ही अप्रार्थी ने उक्त दान पत्र की असली प्रति अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की है। उनका तर्क था कि अधिनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी तौर पर विपक्षी बशीर को बरोज दावा दायरी मृत मानकर विपक्षी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है जबकि विपक्षी ने एक ओर तो अपने प्रार्थना पत्र में बशीर को 40 वर्ष पूर्व मृत होना बताया है व दूसरी ओर मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया में उसे 28 वर्ष पूर्व मृत होना दर्शित किया है अर्थात मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके हलफनामा देकर डिक्री के बाद तैयार होने से उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र का कोई महत्व नहीं रहता,क्योंकि प्रमाण पत्र में बशीर पुत्र नजीरखॉं गंगापुरसिटी लिखा है जबकि मूल दावे में जो प्रतिवादी है वह बशीर पुत्र नसीर है जो हिण्डौन का निवासी है। आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत उसी व्यक्ति द्वारा अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है जो पक्षकार है और उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई है। अन्य व्यक्ति जो चाहे निर्णय से प्रभावित ही क्यों न हो इस प्रावधान के अन्तर्गत इस एकतरफा कार्यवाही निरस्त नहीं करवा सकते। ए0आई0आर0 1977 देहली पेज 110 के न्यायिक दृष्टांत में इन्हीं परिस्थितियों के संदर्भ में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकार नहीं है, जो पक्षकार नहीं हो। न्यायालय द्वारा धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत अन्तनिहित शक्तियों का प्रयोग भी ऐसी परिस्थितियों में नहीं कर सकता। इस विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति के परिपेक्ष्य में जब यह स्पष्ट है कि आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र वाद के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था तो इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का सही उपयोग नहीं किया है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन का आदेश दिनांक 10.07.2013 निरस्त किया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2013 को प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार किये जाने के जो आदेश पारित किये गये थे वे निरस्त हो चुके है तथा विवादित आराजी खसरा नम्बर 1148 रकबा 0.36 है0 कस्बा हिण्डौन के संदर्भ में इस न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक [illegible].06.2012 यथावत है। जिसको किसी भी सक्षम न्यायालय ने निरस्त किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.27 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

नकल जमाबन्दी सं0 2067 से 70 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1148 रकबा 0.36 है0 वाके कस्बा हिण्डौन [illegible] खातेदारी वशीर पुत्र नसीर खॉं जाति मुसलमान निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 4266 निर्णय दिनांक 09.08.2012 –न्यायालय आदेश से खसरा नम्बर 1148

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

रकबा 0.36 है0 अशोक कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी मित्तल मिल बयाना रोड हिण्डौन खातेदार स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 64 निर्णय दिनांक 14.01.2013 मुकदमा नं0 04/2013 आदेश दिनांक 07.01.2013 से खसरा नम्बर 1148 पर रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने रहन वयय मुन्तकिल नहीं करने के बाबत् स्थगन है का नोट अंकित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि न्यायालय हाजा द्वारा मुकदमा नं0 10/2012 अशोक कुमार बनाम बशीर खॉं आदि में दिनांक 29.06.2012 को निर्णय व डिकी पारित करते हुए विवादित आराजी खसरा नम्बर 1148 रकबा 0.36 है0 वाके कस्बा हिण्डौन का प्रतिवादी सं04 अशोक कुमार पुत्र स्व0 ओमप्रकाश जाति महाजन निवासी मित्तल मिल बयाना रोड हिण्डौन खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रतिवादी सं04 अशोक कुमार उक्त विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार होने के कारण वह अपनी उक्त भूमि को किसी भी दीगर व्यक्ति को रहन विक्रय कर सकता है। वादी के द्वारा दिनांक 16.08.2012 के विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत नहीं की है और ना ही असल दान पत्र पेश किया है। जब वादी विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार ही नहीं है तो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराने का भी अधिकारी नहीं है। उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन द्वारा प्रकरण सं0 02/2013 प्रार्थना पत्र ऑर्डर 09 रूल 13 सीपीसी में पारित किये गये आदेश दिनांक 10.07.2013 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर निगरानी टी.ए. संख्या 4822/2013 उनवानी अशोक बनाम हिफजुर रहमान वगैराह, अशोक के द्वारा पेश की गई। उक्त निगरानी में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 09.11.2015 को निर्णय पारित करते हुए अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन का आदेश दिनांक 10.07.2013 निरस्त कर दिया गया है तथा न्यायालय हाजा द्वारा विवादित भूमि के सम्बन्ध में मुकदमा नं0 10/2012 अशोक कुमार बनाम बशीर खॉं आदि में दिनांक 29.06.2012 को पारित निर्णय व डिकी यथावत रही है, जिसके विरूद्ध वादी ने कोई अपील सक्षम न्यायालय में पेश नहीं की है। जब इस न्यायालय से विवादित आराजी खसरा नम्बर 1148 रकबा 0.36 है0 कस्बा हिण्डौन का प्रतिवादी सं04 अशोक कुमार के हक में डिकी जारी की जा चुके है तो ऐसे हालात में वादी इस न्यायालय से डिकीशुदा आराजी खसरा नम्बर 1148 कस्बा हिण्डौन का न्यायालय हाजा में वाद पत्र पेश करने का अधिकारी नहीं है, वादी कोई भी रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। बल्कि इस न्यायालय के आदेश की अपील सक्षम न्यायालय में करता। वादी के द्वारा पेश किया गया दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, शून्य घोषित करने विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2012 एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं होने से रिजेक्ट किया जाकर खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण/ प्रतिवादी सं0 1 व 3 का प्रार्थना पत्र ऑर्डर 07 रूल 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर वादी का मुकदमा नं0 171/2013 उनवानी हिफर्जुरहमान बनाम श्रीमती वीणा देवी वगैराह दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, शून्य घोषित करने विक्रय पत्र दिनांक 16.08.2012 एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत ऑर्डर 7 रूल 11 सी0पी0सी0 के प्रावधानों के तहत रिजेक्ट किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 22.01.2[illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.27 10:54:41 IST
Reason: SelfAttested

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी